रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022026-270161
CG-DL-E-16022026-270161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947
No. 108] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 114(अ).— विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(1) इन नियमों को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 (इसके बाद इन्हें मुख्य नियम कहा जाएगा) के नियम 19 में उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम के अन्तर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1क) प्रशासक (आईएफएससीए) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में यूनिट की स्थापना के लिए प्रपत्र जीए में अनुमोदन पत्र जारी करेगा।"

(3) मुख्य नियमों में प्रपत्र जी के बाद निम्नलिखित प्रपत्र अन्तर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

अनुमोदन पत्र – "फॉर्म जीए"

[नियम 19(1क)का संदर्भ लें]

प्रशासक कार्यालय (आईएफएससीए)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

दूसरी और तीसरी मंज़िल , सैवी प्रज्ञा, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय

वित्त प्रौधोगिकी-सिटी, गुजरात - 382 355

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

फोन: +91-79-6180-9800 फैक्स: ______ईमेल:ifsca-admin@ifsca.gov.inवेबसाइट:https://www.ifsca.gov.

दिनांक:

एसईजेड नाम जीआईएफटी- बहु सेवाएं-विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

एसईजेड पता जीआईएफटी - बहु सेवाएं - विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)). गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी -सिटी. गुजरात 382355

संदर्भ आपका आवेदन सं-______________________ दिनांक ____________

अनुमोदन पत्र ____

संख्या. _________________ अनुमोदन पत्र मान्य है :

अनुमोदन पत्र जारी करने की तिथि ____

अनुमोदन पत्र की वैधता तिथि से शुरू ____

विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट का नाम ____
____

पंजीकृत पता ____

विशेष आर्थिक क्षेत्र ____

यूनिट
पता ____

विषय: गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी-बहुसेवा-विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीनगर में नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई की स्थापना के लिए आपका प्रस्ताव

महोदय/महोदया

उपर्युक्त आवेदन के संदर्भ में, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी बहु सेवा-विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासक (आईएफएससीए) आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत जारी आदेशों के प्रावधानों के अधीन, विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएं और अधिकार प्रदान करती हैं, बशर्ते कि सभी संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से सभी अनिवार्य/सांविधिक अनुमोदन/अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हों, और ____________________ राज्य में ____________________________ में प्राधिकृत संचालन करने के लिए एक इकाई की स्थापना की जा सके, अर्थात्:-

प्राधिकृत परिचालन
1.
____

यह अनुमोदन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अध्यधीन है:

(i) आप प्रधिकृत परिचालन शुरू होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सेवाओं का निर्यात करेंगे। इस उद्देश्य के लिए, आप विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित बांड-सह-कानूनी वचनपत्र को निष्पादित करेंगे।

(ii) आप प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

(iii) आप अनुमोदन के अंतर्गत अपने अधिकृत कार्यों के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का आयात या खरीद घरेलू टैरिफ क्षेत्र से कर सकते हैं, सिवाय उन वस्तुओं के जो निर्यात और आयात वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत निषिद्ध हैं।

(iv) आप घरेलू टैरिफ क्षेत्र में और निर्धारित मानदंडों के अनुसार, जिनमें एसईजेड अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 तथा उनके अंतर्गत जारी आदेश शामिल हैं, आपूर्ति या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

(v) यह अनुमोदन पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है। आपको परियोजना को कार्यान्वित करेंगे और एक वर्ष की अवधि के भीतर या विस्तारित की गई अवधि के भीतर सेवाएं शुरू करनी होंगी।

(vi) व्यवसाय/प्रचालन/सेवाओं के प्रारंभ होने की तिथि की सूचना प्रशासक (आईएफएससीए) को प्रदान की जाएगी।

(vii) यह अनुमोदन पत्र व्यवसाय या प्रचालन शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।

(viii) यह अनुमोदन आपके द्वारा अपने परियोजना प्रस्ताव/आवेदन में दी गई जानकारी पर आधारित है।

(ix) आप विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 तथा इनके अंतर्गत जारी आदेशों का अनुपालन करेंगे। साथ ही, आपको किसी भी अधिनियम, नियम और विनियमों की सभी अनिवार्य/सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

(x) आपके पास विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत जारी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन का नवीनीकरण करने या क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प है।

(xi) आप अनुमोदन पत्र के जारी होने के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रशासक (आईएफएससीए) को उपरोक्त या एलओए की शर्तों और नियमों की स्वीकृति की पुष्टि करेंगे।

(xii) यह अनुमोदन तभी प्रभावी होगा जब इकाई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण या विनियामक प्राधिकरणों से सभी अनुमोदन प्राप्त हो जाएंगे और प्रशासक (आईएफएससीए) के कार्यालय को सूचित कर दिए जाएंगे।

(xiii) यदि आप उपरोक्त उल्लिखित और इस अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 तथा उनके अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार यह अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(xiv) अनुमोदन पत्र की शर्तों और नियमों में संशोधन/परिवर्तन या इसकी वैधता बढ़ाने सहित सभी भावी पत्राचार प्रशासक (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) को भेजे जाएंगे।

(xv) अनुमोदन पत्र की शर्तें (यदि कोई हो)

क्र.सं.	अनुमोदन पत्र की शर्तें	जोड़ी गई तारीख

प्रशासक (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र)
गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी बहु-सेवा एसईजेड

प्रतिलिपि प्रेषित: -
विकास आयुक्त (गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी-एसईजेड)
विनिर्दिष्ट अधिकारी
डेवलपर (मेसर्स गिफ्ट कंपनी लिमिटेड)
4) सह-डेवलपर (मेसर्स ____________)

[फा.सं. के-43014/3/2024-एसईजेड]
विमल आनंद, संयुक्त सचिव

टिप्पण: विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 54(ई), दिनांक 10 फरवरी, 2006 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार क्रमांक सा.का.नि 364 (ई), दिनांक 3 जून, 2025 को संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2026

G.S.R. 114(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Special Economic Zones Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 19, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(1A) The Administrator (IFSCA) shall issue a Letter of Approval in Form GA, for setting up of the Unit in an International Financial Services Centre".

(3) In the principal rules, after Form G, the following form shall be inserted, namely: -

LETTER OF APPROVAL – "FORM GA"

[See rule 19(1A)]

OFFICE OF ADMINISTRATOR (IFSCA)
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY
2nd & 3rd Floor, Savvy Pragya, Gujarat International Finance Tec-City, Gujarat - 382 355

सत्यमेव जयते
Government of India

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY
IFSCA

PH: +91-79-6180-9800 Fax:Email: ifsca-admin@ifsca.gov.in Website: https://www.ifsca.gov.in/

Dated the: ______________

SEZ Name	GIFT-Multi Services -Special Economic Zone (SEZ)
SEZ Address	GIFT-Multi Services -Special Economic Zone (SEZ). Gujarat International Finance Tec-City. Gujarat 382355
Reference	Your application No.-____________________ Dated the__________
Letter of Approval No.	______________________________
	______________ Letter of Approval Valid up to :
Letter of Approval Issue Date	______________________________
Letter of Approval Valid From	______________________________
Special Economic Zone Unit Name	______________________________
Registered	______________________________

Address ______________________________

Special Economic Zone Unit Address ______________________________
____

Subject: Your proposal for setting up of new International Financial Services Centre unit in the Gujarat International Finance Tec-Multi-Services-Special Economic Zone, Gandhinagar

Dear Sir/Madam

With reference to the above-mentioned application, the Administrator (IFSCA), Gujarat International Finance Tec Multi-Services-Special Economic Zone, is pleased to extend to you all the facilities and entitlements admissible to a unit in a Special Economic Zone, subject to the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and the Special Economic Zone Rules, 2006 and orders made thereunder, subject to obtaining all mandatory/statutory approvals/permissions from all concerned Regulatory Authority(s) and for the establishment of a unit at ______________________________, in the State of______________________, for undertaking authorized operations, namely:-

Authorised Operations

1. ______________________________

This approval is subject to following terms and conditions:

(i) You shall undertake export of financial services as per provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 and the Special Economic Zone Rules, 2006 made thereunder for a period of five years from the date of commencement of authorised operations. For this purpose, you shall execute the Bond-cum-Legal Undertaking as prescribed under the Special Economic Zone Rules, 2006.

(ii) You shall fulfill the pollution control requirements, as may be prescribed by the Pollution Control authorities.

(iii) You may import or procure from the Domestic Tariff Area all the items required for your authorised operations under this approval, except those prohibited under the ITC (HS) Classifications of Export and Import items.

(iv) You may supply or provide services in the Domestic Tariff Area and as per stipulated norms, including those specified in the SEZ Act, 2005 and the Special Economic Zone Rules, 2006 and orders made thereunder.

(v) This Letter of Approval is valid for a period of one year from its date of issue. You shall implement the project and commence services within one-year period or within such period as may be extended.

(vi) Date of commencement of business/operations/services shall be intimated to the Administrator (IFSCA).

(vii) This Letter of Approval shall be valid for a period of five years from the date of commencement of business or operation.

(viii) The approval is based on the details furnished by you in your project proposal/application.

(ix) You shall abide by the provisions of Special Economic Zones Act, 2005 and the Special Economic Zone Rules, 2006 and orders made thereunder. You shall also comply with all mandatory/statutory requirements of any Act, Rules, and Regulations.

(x) You have the option to renew the approval or exit in terms of the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005, and the Special Economic Zone Rules, 2006 and orders made thereunder.

(xi) You shall confirm acceptance of the above or LOA terms and conditions to the Administrator (IFSCA) within forty-five days of issue of this Letter of Approval.

(xii) This approval will come into effect only after all approvals from International Financial Services Centre Authority or Regulatory authorities are received by the unit and communicated to the office of the Administrator (IFSCA).

(xiii) If you fail to comply with the conditions stipulated above and specified in this Letter Of Approval, this Letter of Approval shall be cancelled as per the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005, and the Special Economic Zone Rules, 2006 and orders made thereunder.

(xiv) All future correspondence including for amendments/changes in terms and conditions of the Letter of Approval or for extension of its validity shall be addressed to the Administrator (International Financial Services Centre).

(xv) Letter of Approval Conditions (if any)

S. No.	Letter of Approval Conditions	Added Date

Administrator (International Financial Services Centre)
Gujarat International Finance Tec Multi-Services SEZ

Copy forwarded to: -
1) The Development Commissioner (Gujarat International Finance Tec-SEZ)
2) The Specified Officer
3) The Developer (M/S. GIFT Company LTD)
4) The Co-Developer (M/S. ____________)

[F. No. K-43014/3/2024-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Note: The Special Economic Zone Rules, 2006 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* number G.S.R. 364(E), dated the 3rd June, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.16 15:06:29 +05'30'